

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

जज अदालत नायब तहसीलदार मण्डावर मुकाम-मण्डावर (दौसा)

सरकार ..... बनाम ..... भागचन्द

किस्म मुकदमा- भू0 राजस्व अधि0 1956 की धारा 91 प्रकरण संख्या-44 सन्-2022

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही भय इनिशियल्य जज मुकदमा नम्बर-44 / 2022	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुए
28.09.2022	<p>पत्रावली पेश हुई। पटवारी हल्का द्वारा रिपोर्ट इस आशय से पेश की सम्वत् 2079 ग्राम नांगल सुमेर सिंह में राजकीय चारागाह भूमि खसरा न0 40 रकबा 0.50 पर गैरसायल भागचन्द पुत्र मंगू मीना जाति बैरवा निवासी नांगल सुमेर सिंह द्वारा ईंधन लगाकर अतिक्रमण कर लिया है। अतिक्रमी की रिपोर्ट पेश होने पर दर्ज रजिस्टर कर गैरसायल को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्त होने पर गैर सायल उपस्थित हुआ। गैर सायल द्वारा लिखित जवाब पेश किया गया की उसके द्वारा जो अतिक्रमण किया था उसको पूर्णत हटवा लिया गया है।</p> <p>अतः गैर सायल द्वारा अतिक्रमण किया जाना स्वीकार किया तथा अतिक्रमण हटाया जाना स्वीकार किया।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं पाया गया कि उक्त प्रकरण नियमन योग्य नहीं है। अतः गैर सायल का अतिक्रमण सिद्ध होने से गैरसायल को उक्त अतिक्रमित भूमि से बेदखल किया जाता है तथा भू-राजस्व लगान दर 0.095 रुपये का 50 गुणा 5 रुपये पेनल्टी राशि से दण्डित किया जाता है।</p> <p>बेदखली, वसूली हेतु आई0एल0आर0/पटवार हल्का को लिखा जावे। मांग कायमी TRA करावे। बाद तकमील पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।</p>	

रा0 ल0 सं0 4 वर्ष 2022-23 की  
रा0 सं0-67 पर-5 रु  
मांग कायम की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार

नायब तहसीलदार  
तहसील मण्डावर (दौसा)

